

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 60/2024

अनवान :

1. रणधीर पुत्र मांगेराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा ।

:-वादी

बनाम

- 1.धोली पुत्री केशराराम जाति धाणक निवासी सवाईछानी तहसील भादरा ।
- 2.सन्तोष पुत्री केशराराम जाति धाणक निवासी सवाईछानी तहसील भादरा ।
- 3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:- प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा चक 4 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 34/25 के मु0न0 117 के कि0न0 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 की कुल 1.518 है0 (बारानी 1.4790 है0, गै0मु0 रास्ता 0.039 है0) जिसमें वादी के नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रंगदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भूअ./24/02 एवं राजकाज रेफ नंबर 12744964 दिनांक 01.01.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा चक 4 जे0एस0एल0 का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा 4 जे0एस0एल0

रणधीर पुत्र मांगेराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल साकिन अमरपुरा खातेदार :- रोही मौजा 4 जे0एस0एल0 मु0न0 117 कि0न0 6/1 की 0.240 है0 बारानी, कि0न0 6/2 की 0.013 है0 रास्ता, कि0न0 7 की 0.253 है0 बारानी, कि0न0 8 की 0.253 है0 बारानी कि0न0 9 की 0.253 है0 कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 बारानी 0.999 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 ।

धोली पुत्री केशराराम हिस्सा 1/2 जाति धानक साकिन सवाई छानी खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला, सन्तोष पुत्री केशराराम हिस्सा 1/2 जाति धानक साकिन सवाई छानी खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला

:- रोही मौजा 4 जे0एस0एल0 के मु0न0 117 के कि0न0 10/1 की 0.240 है0 बारानी, कि0न0 10/2 की 0.013 है0 रास्ता, कि0न0 11/1 की 0.240 है0 बारानी, कि0न0 11/2 की 0.013 है0 रास्ता कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.506 है0 बारानी 0.480 है0, गै0मु0 रास्ता 0.026 है0 ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं० : 60/2024

अनवान :

रणधीर पुत्र मांगेराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा ।

:—वादी

बनाम

- 1.धोली पुत्री केशराराम जाति धाणक निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
- 2.सन्तोष पुत्री केशराराम जाति धाणक निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
- 3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी



निर्णय

दिनांक:

साक्ष्य मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जे०एस०एल० के खाता संख्या 34/25 के मु०न० 117 के कि०न० 6/1,6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 की कुल 1.518 है० (बारानी 1.4790 है०, गै०मु० रास्ता 0.039 है०) जिसमें वादी के नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादीगण वादभूमि का कब्जा काश्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादीगण अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादीगण के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 व 2 तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आए जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक कब्जा काश्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। उसी अनुसार कब्जा काश्त के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा चक 4 जे०एस०एल० के खाता संख्या 34/25 के मु०न० 117 के कि०न० 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 की कुल 1.518 है० (बारानी 1.4790 है०, गै०मु० रास्ता 0.039 है०) जिसमें वादी के नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भूअ./24/02 एवं राजकाज रेफ नंबर 12744964 दिनांक 01.01.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा चक 4 जे०एस०एल० का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

विभाजन : रोही मौजा 4 जे०एस०एल०

रणधीर पुत्र मांगेराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल साकिन अमरपुरा खातेदार :— रोही मौजा 4 जे०एस०एल० मु०न० 117 कि०न० 6/1 की 0.240 है० बारानी, कि०न० 6/2 की 0.013 है०

रणधीर बनाम धोली

रास्ता, कि०न० 7 की 0.253 है० बारानी, कि०न० 8 की 0.253 है० बारानी कि०न० 9 की 0.253 है० बारानी कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 1.012 है० बारानी 0.999 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है०।
धोली पुत्री केशराराम हिस्सा 1/2 जाति धानक साकिन सवाई छानी खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला, सन्तोष पुत्री केशराराम हिस्सा 1/2 जाति धानक साकिन सवाई छानी खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला :- रोही मौजा 4 जे०एस०एल० के मु०न० 117 के कि०न० 10/1 की 0.240 है० बारानी, कि०न० 10/2 की 0.013 है० रास्ता, कि०न० 11/1 की 0.240 है० बारानी, कि०न० 11/2 की 0.013 है० रास्ता कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.506 है० बारानी 0.480 है०, गै०मु० रास्ता 0.026 है०।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरानी)
सहायक जज (सिविल)
सहायक जज (सिविल) एवं कोषपालक न्यायालय
भदरा, जिला हनुमानगढ़